

बिहार सरकार
अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-4 / निदे०आ०वि०सं०धा०(वे०आ०)-46-02 / 2025- 340

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्णियाँ एवं रोहतास।

पटना, दिनांक-30/03/2026

विषय:—वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में वेतन एवं सामग्री एवं पूर्णियाँ मद में कुल राशि ₹65,00,000 /—(पैंसठ लाख रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में वेतन एवं सामग्री एवं पूर्णियाँ मद में कुल राशि ₹65,00,000 /—(पैंसठ लाख रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2—कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष-2025-26 में आय व्यय शीर्ष माँग सं०-44-2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02—अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277—शिक्षा-0004—आवासीय विद्यालय—विषय शीर्ष 0004.01.01—वेतन तथा 0004.21.01—सामग्री एवं पूर्णियाँ विपत्र कोड सं०-44-2225022770004 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3— इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4— वित्त विभाग के पत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5— संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6— संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया जाएगा।

7— आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8— इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।


9— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक

ज्ञापांक-4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-46-02 / 2025- 340 पटना, दिनांक -30/03/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में वेतन एवं सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि की विवरणी।

(राशि-रु0 में)

क्र0 सं0	जिला	वेतन मद (01.01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ मद (21.01)	कुल योग
1	पूर्णियाँ	₹5,00,000	0	₹5,00,000
2	रोहतास	0	₹60,00,000	₹60,00,000
कुल योग		₹5,00,000	₹60,00,000	₹65,00,000

कुल राशि (पैंसठ लाख रु0) मात्र


निदेशक